[2025] 7 एस.सी.आर. 1928 : 2025 आईएनएससी 917

एस.एन. विजयलक्ष्मी एवं अन्य
ए1: एस.एन. विजयलक्ष्मी
ए2: वी.एस. श्रीदेवी
ए3: वी.एस. श्रीलेखा
ए4: के.वी. कृष्णप्रसाद
बनाम
कर्नाटक राज्य एवं अन्य
R1: कर्नाटक राज्य
R2: कीर्ति राज शेट्टी

(आपराधिक अपील सं. 3302/2025)
31 जुलाई 2025

[सुधांशु धूलिया और
अहसानुद्दीन अमानुल्लाह,* न्यायमूर्ति]

विचारणीय मुद्दा

क्या तथ्यात्मक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में कोई आपराधिक अपराध बनता है जिससे अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को उचित ठहराया जा सके तथा क्या ऐसी कार्यवाही जारी रहनी चाहिए; तथा क्या एक ही कारण-कार्रवाई पर, तथ्यों के आधार पर, दीवानी एवं आपराधिक कार्यवाहियाँ एक साथ चल सकती हैं।

शीर्ष टिप्पणियाँ†

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482 - निरस्तीकरण - शिकायतकर्ता द्वारा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध विक्रय अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन हेतु दीवानी वाद दायर किया गया; तत्पश्चात शीघ्र ही एक एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई, अन्य बातों के साथ-साथ धारा 405, 406, 415, 417, 418, 420, भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत - अपीलकर्ताओं द्वारा एफ.आई.आर. निरस्त करने हेतु याचिका दायर की गई, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया - औचित्य:

* लेखक

अभिनिर्धारित: एक ही व्यक्ति को एक ही लेन-देन के संबंध में धारा 406 तथा 420 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए एक साथ अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता - धारा 405 के अंतर्गत, आपराधिक न्यासभंग तभी उत्पन्न होता है जब अभियुक्त को किसी प्रकार से संपत्ति सौंपी गई हो, या उस पर कोई अधिकार दिया गया हो और वह उसे बेईमानी से अपने उपयोग हेतु हड़प ले या परिवर्तित कर ले, अथवा उस संपत्ति का बेईमानी से उपयोग या निपटान करे - वर्तमान मामले में, अभियुक्तों को विवादित संपत्ति सौंपी नहीं गई थी, क्योंकि उक्त संपत्ति पर उनका स्वयं का अधिकार था - अतः धारा 406 लागू नहीं होती - इसके अतिरिक्त, यह भी नहीं पाया गया कि शिकायतकर्ता को धोखा देकर अपीलकर्ताओं ने उसे कपटपूर्वक या बेईमानी से इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह संपत्ति उन्हें या किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दे अथवा किसी व्यक्ति को संपत्ति बनाए रखने के लिए सहमति दे, अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे धोखा दिया गया हो, ऐसा कोई कार्य करने या न करने के लिए जानबूझकर प्रेरित किया गया हो, जो वह अन्यथा न करता - यहाँ तक कि स्वयं शिकायतकर्ता की दलीलों से भी यह स्पष्ट होता है कि विवादित संपत्ति का कब्जा कभी शिकायतकर्ता को दिया ही नहीं गया था, बल्कि विक्रय विलेख के निष्पादन के पश्चात ऐसा कब्जा सौंपे जाने का प्रावधान किया गया था - अतः धारा 420 भी लागू नहीं होती - प्रथम दृष्टया आरोपों में कोई आपराधिक तत्व नहीं है - इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता द्वारा राहत हेतु दीवानी वाद भी दायर किया गया है - आपराधिकता के तत्व के अभाव में, दीवानी एवं आपराधिक दोनों कार्यवाहियों का जारी रहना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा - एफ.आई.आर. तथा उससे संबंधित सभी अनुवर्ती आदेश, जिसमें आरोपपत्र तथा संज्ञान आदेश भी सम्मिलित हैं, अपीलकर्ताओं के साथ-साथ सह-अभियुक्त 'वीवीएस' (अपीलकर्ता सं. 1 की पुत्री, जो इस अपील में सम्मिलित नहीं है) के विरुद्ध निरस्त किए जाते हैं। [पैरा 34, 37, 39-42, 47, 48]

विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482 - निरस्तीकरण - उसी विषय के संबंध में पूर्व से दीवानी कार्यवाही लंबित, आपराधिकता का तत्व अनुपस्थित - आपराधिक कार्यवाही निरस्त की जानी चाहिए:

अभिनिर्धारित: *शाब्दिक अर्थ* में यह है कि दीवानी एवं आपराधिक कार्यवाहियों को एक साथ चलाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और एक ही व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध समान आरोपों के आधार पर दोनों कार्यवाहियाँ कायम रखी जा सकती हैं - यदि आपराधिकता का तत्व विद्यमान है, तो एक दीवानी वाद उसी तथ्यों पर आपराधिक वाद के साथ सह-अस्तित्व में रह सकता है - केवल यह तथ्य कि शिकायतकर्ता ने पहले ही दीवानी उपचार

का सहारा ले लिया है, *स्वतः* एफ.आई.आर. को निरस्त करने का पर्याप्त आधार नहीं है - किन्तु यह स्पष्ट शर्त है कि आरोप, भले ही उनमें दीवानी प्रकृति का तत्व हो, *प्रथम दृष्ट्या* प्रबल आपराधिकता का तत्व प्रकट करने चाहिए - आपराधिकता के तत्व के अभाव में, यदि दीवानी एवं आपराधिक दोनों कार्यवाहियों को जारी रहने दिया जाए, तो यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, और ऐसी किसी भी आपराधिक कार्यवाही को रोक दिया जाना चाहिए, जहाँ उसी विषय के संबंध में दीवानी कार्यवाही पहले ही प्रारंभ की जा चुकी हो तथा आपराधिकता का तत्व अनुपस्थित हो। [पैरा 42]

प्रियांका श्रीवास्तव वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देश - प्रकृति एवं प्रवर्तन:

अभिनिर्धारित: *प्रियांका श्रीवास्तव* वाद में जारी निर्देश अनिवार्य हैं - उसमें निहित दिशा-निर्देश भावी रूप से लागू होते हैं - समर्थन शपथपत्र का प्रस्तुत न किया जाना एक उपचार्य दोष है, किन्तु मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत/आवेदन पर कोई भी सारगर्भित आदेश पारित करने से पूर्व इसे दूर किया जाना आवश्यक है - यदि मजिस्ट्रेट आवश्यक शपथपत्र के बिना कार्यवाही करता है, तो ऐसा आदेश तथा उससे उत्पन्न कोई भी अनुवर्ती आदेश/कार्यवाही, केवल *प्रियांका श्रीवास्तव* के अनुपालन के अभाव के आधार पर निरस्त की जा सकती है - वर्तमान मामले में, चुनौतीगत निर्णय *प्रियांका श्रीवास्तव* में प्रतिपादित विधि के प्रतिकूल नहीं है। [पैरा 45, 46]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

प्रियांका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **[2015] 4 एससीआर 108 : (2015) 6 एससीसी 287;** *ओंकार नाथ मिश्रा बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य* **[2007] 13 एससीआर 716 : (2008) 2 एससीसी 561;** *दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* **[2024] 8 एससीआर 670 : 2024 एससीसी ऑनलाइन एस.सी. 2248;** *जी सागर सूरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* **[2000] 1 एससीआर 417 : (2000) 2 एससीसी 636;** *वी. पी. श्रीवास्तव बनाम इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड* **[2010] 11 एससीआर 788 : (2010) 10 एससीसी 361;** *नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य* **[2021] 4 एससीआर 1044 : (2021) 19 एससीसी 401;** *सिद्धार्थ मुकेश भंडारी बनाम गुजरात राज्य* **[2022] 6 एससीआर 853 : (2022) 10 एससीसी 525;** *वी. डी. रवीशा बनाम कर्नाटक राज्य,* **2024 आई. एन.एस.सी. 1060 : [2024] 10 एससीआर 2265;** *पी. स्वरूपा रानी बनाम एम. हरि नारायण* **[2008] 3 एससीआर 900 : (2008) 5 एससीसी 765;** *सैयद अक्सारी हादी अली ऑगस्टीन इमाम बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन)* **[2009] 3**

एससीआर 1017 : (2009) 5 एससीसी 528; *परमजीत बत्रा बनाम उत्तराखंड राज्य* **(2013) 11 एससीसी 673;** *उषा चक्रवर्ती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य* **(2023) 15 एससीसी 135;** *बाबू वेंकटेश बनाम कर्नाटक राज्य* **(2022) 5 एससीसी 639;** *रमेश कुमार बुंग बनाम तेलंगाना राज्य,* **2024 एससीसी ऑनलाइन एस.सी. 264;** *कनिष्क सिन्हा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य,* **2025 एससीसी ऑनलाइन एस.सी. 443;** *हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल* **[1992] पूरक 3 एससीआर 735 : (1992) पूरक 1 एससीसी 335;** *वेसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य* **[2015] 4 एससीआर 27 : (2015) 8 एससीसी 293;** *गुलाम मुस्तफा बनाम कर्नाटक राज्य* **[2023] 5 एससीआर 354 : (2023) 18 एससीसी 265;** *पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य* **[2003] पूरक 1 एससीआर 710 : (2003) 11 एससीसी 241;** *जावेद शौकत अली कुरैशी बनाम गुजरात राज्य* **[2023] 12 एससीआर 220 : (2023) 9 एससीसी 164;** *एम. सिद्दीक (राम जन्मभूमि मंदिर 5 जे) बनाम सुरेश दास* **[2019] 18 एससीआर 1 : (2020) 1 एससीसी 1;** *अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ [निर्वाचन आयोग नियुक्ति]* **[2023] 9 एससीआर 1 : (2023) 6 एससीसी 161;** *शिल्पा सैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन* **[2023] 5 एससीआर 165 : (2023) 14 एससीसी 23 - संदर्भित।**

सचिन चमोली बनाम उत्तराखंड राज्य, **2016 (3) एनसीसी 68; बैद्यनाथ मिश्रा बनाम बिहार राज्य, 2019 एससीसी ऑनलाइन पटना 662 - संदर्भित।**

अधिनियमों की सूची

भारतीय दण्ड संहिता, 1860; दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारत का संविधान।

प्रमुख शब्दों की सूची

निरस्तीकरण; दीवानी एवं आपराधिक कार्यवाहियों का एक साथ संचालन; एक ही विषय पर पूर्व से संस्थित दीवानी कार्यवाही; आपराधिकता के तत्व का अभाव; समान कारण-ए-कार्रवाई; न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग; समान व्यक्ति के विरुद्ध समान तथ्यों के आधार पर आरोपों का एक ही समूह; भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 405, 406, 415 एवं 420; आपराधिक कार्यवाही निरस्त; दीवानी वाद; विक्रय अनुबंध के विशिष्ट पालन; एक विशेष लेन-देन; आपराधिक न्यासभंग; अभियुक्त को संपत्ति का न्यास नहीं सौंपा गया; विषय संपत्ति का कब्जा नहीं दिया गया; संपत्ति के बाजार मूल्य में वृद्धि; प्रारंभ में कोई प्रलोभन नहीं; वचन देते समय कोई बेईमानी का आशय नहीं; भारतीय दण्ड संहिता की

धारा 420 लागू नहीं; आरोपों में कोई आपराधिक तत्व नहीं; प्राथमिकी निरस्त; समानता; न्याय के हित; प्रियांका श्रीवास्तव वाद में जारी निर्देश; सह-अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही, जो न्यायालय के समक्ष नहीं है, निरस्त; समान तथ्य; प्रियांका श्रीवास्तव में प्रतिपादित दिशा-निर्देश; समर्थन शपथपत्र का अभाव; उपचार्य दोष; भारत के संविधान का अनुच्छेद 142; न्यायिक शिष्टाचार; पूर्ण न्याय; बैंगलोर विकास प्राधिकरण (बीडीए) द्वारा

मामले की उत्पत्ति

अधिग्रहण; वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा विधि का दुरुपयोग; सांठगांठपूर्ण वाद।

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता: आपराधिक अपील संख्या 3302 सन् 2025

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा सीआरएलपी संख्या 12452 सन् 2023 में दिनांक 03.06.2024 को पारित निर्णय एवं आदेश से उद्भूत।

अधिवक्तागण

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता:

अभिषेक मनु सिंघवी, शोएब आलम, वरिष्ठ अधिवक्ता; अनिल सी. निशानी, अमित भंडारी, पी. प्रसन्ना कुमार, मीनैश दुबे, कृष्णा एम. सिंह, विश्वेश आर. मुरनल, एम/एस कृष्णा एंड निशानी लॉ चेम्बर्स।

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता:

दुष्यंत दवे, सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता; महेश ठाकुर, श्रीमती गीतांजलि बेदी, रणविजय सिंह चंदेल, रूपराज बनर्जी, सुश्री आयुषी गौर, डी. एल. चिदानंद।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

<u>निर्णय</u>

अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति

अनुमति प्रदान की गई।

2. आई.ए. संख्याएँ 141246/2024 एवं 215072/2024 स्वीकृत की जाती हैं; आधिकारिक अनुवाद प्रस्तुत करने से छूट प्रदान की जाती है। आई.ए. संख्या 215071 सन् 2024 निराकृत की जाती है।

3. प्रतिवादी सं. 2/शिकायतकर्ता (कीर्तिराज शेट्टी) द्वारा दिनांक 20.07.2022 की निजी शिकायत रिपोर्ट संख्या 12357/2022 (जिसे आगे 'पीसीआर' कहा जाएगा) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'सीआरपीसी' कहा जाएगा) की धारा 200 के अंतर्गत, माननीय तृतीय अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी, बेंगलुरु (जिसे आगे 'एसीएमएम' कहा जाएगा) के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त पीसीआर को आदेश दिनांक 21.07.2023 के माध्यम से सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत जांच हेतु संजय नगर पुलिस थाना को प्रेषित किया गया। संदर्भ आदेश के पश्चात, प्रथम सूचना रिपोर्ट, अपराध संख्या 260/2023 (जिसे आगे 'एफआईआर' कहा जाएगा), दिनांक 05.10.2023 को चारों अपीलकर्ताओं तथा अन्य अभियुक्तों [1] के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (जिसे आगे 'आईपीसी' कहा जाएगा) की धाराओं 405, 406, 415, 417, 418, 420, 504, 506, 384 तथा धारा 120-बी सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए पंजीकृत की गई।

4. वर्तमान अपील, कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु (जिसे आगे 'उच्च न्यायालय' कहा जाएगा) के माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा आपराधिक याचिका संख्या 12452 सन् 2023 में दिनांक 03.06.2024 को पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' कहा जाएगा) को चुनौती देती है, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं की एफआईआर निरस्तीकरण की याचिका खारिज कर दी गई।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि:

5. इस वाद का इतिहास जटिल है और उन प्रासंगिक तथ्यों की कुछ विस्तार से चर्चा करना आवश्यक है, जिनके परिप्रेक्ष्य में एफआईआर दर्ज की गई, जैसा कि आक्षेपित निर्णय एवं अभिलेखों से स्पष्ट होता है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अभियुक्त सं. 1 के. वी. जयलक्ष्मम्मा (कुछ अभिलेखों में '*जयलक्ष्मम्मा*' लिखा गया है, किन्तु संदर्भ एक ही व्यक्ति का है) तथा के. वी. श्रीनिवास मूर्ति और के. वी. प्रभाकर (ये तीनों अब दिवंगत हो चुके हैं - वर्तमान अपीलकर्ता उनके परिवारजन हैं) संयुक्त रूप से ग्राम भूपसंद्रा, बेंगलुरु उत्तर तालुक स्थित सर्वे सं. 20 की भूमि, क्षेत्रफल 3 एकड़ 33 *गुंटा* तथा सर्वे सं. 21 की भूमि, क्षेत्रफल 2 एकड़ 32 *गुंटा* के स्वामी थे (इन संपत्तियों को आगे सामूहिक रूप से 'विषय संपत्ति' कहा जाएगा)। एक डी. मुनिस्वामी ने दिनांक 19.10.1967 को उक्त सर्वे सं. 20 की भूमि के संबंध में लक्ष्मीनरसिम्हैया के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया, जिसने उक्त भूमि को के. वी. श्रीनिवास मूर्ति और के. वी. प्रभाकर के लिए न्यास स्वरूप खरीदा। तत्पश्चात, के. वी. श्रीनिवास मूर्ति और के. वी. प्रभाकर ने उक्त लक्ष्मीनरसिम्हैया के विरुद्ध घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद संख्या ओ. एस.

1 इस निर्णय में अभियुक्तों का संदर्भ एफ.आई.आर. में उनकी स्थिति के अनुसार किया गया है।

907/1975 दायर किया। उक्त वाद दिनांक 28.11.1975/19.02.1976 को डिक्री कर दिया गया। सर्वे सं. 21 की भूमि के संबंध में, ग्राम भूपसंद्रा में 3 एकड़ भूमि के लिए अधिभोग अधिकार, भूमि अधिकरण द्वारा वाद सं. एलआरएफ -924, 941 सन् 1974-1975 में दिनांक 22.06.1994 के आदेश के माध्यम से प्रदान किए गए। तदनुसार, प्रपत्र संख्या 10 के. वी. जयलक्ष्मम्मा एवं के. वी. श्रीनिवास मूर्ति के पक्ष में निर्गत किया गया।

6. इस बीच, बैंगलोर विकास प्राधिकरण (जिसे आगे 'बीडीए' कहा जाएगा) का हस्तक्षेप हुआ। बीडीए की स्थापना कर्नाटक राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा दिनांक 06.01.1976 को की गई थी। इसने विषय संपत्ति के अधिग्रहण का प्रयास किया तथा दिनांक 19.01.1978 को प्रारंभिक अधिसूचना और दिनांक 28.12.1982 को अंतिम अधिसूचना जारी की गई। उक्त अधिग्रहण के पश्चात, विषय संपत्ति की भूमि अन्य व्यक्तियों को आवंटित कर दी गई। वर्ष 1988 में, एक ओर सैयद बशिद एवं अन्य और दूसरी ओर के. वी. जयलक्ष्मम्मा सहित के. वी. श्रीनिवास मूर्ति एवं के. वी. प्रभाकर के बीच विषय संपत्ति के स्वामित्व को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। विषय संपत्ति सैयद बशिद के कब्जे में थी। तत्पश्चात, सरकार ने दिनांक 27.08.1992 की अधिसूचना द्वारा विषय संपत्ति को अधिसूचना-मुक्त कर दिया। चूँकि बीडीए पहले ही भूखंडों का आवंटन कर चुका था, अतः आवंटियों ने उक्त अधिसूचना-मुक्ति को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ सं. 37719-25/1992, 3216-17/1993, 11001/1993, 23205/1993, 32221/1993, 15718/1996 तथा 2154/1996 दायर कीं। उक्त याचिकाओं के उच्च न्यायालय में लंबित रहने के दौरान, उपर्युक्त दोनों पक्षों ने दिनांक 06.09.1996 को एक पारस्परिक समझौता किया, जिसका मध्यस्थता रवीशंकरा शेट्टी द्वारा की गई। विषय संपत्ति का कब्जा कथित रूप से रवीशंकरा शेट्टी को सौंपा गया और यह दावा किया गया कि तब से वही उसके कब्जे में है। इसके पश्चात, आवंटियों द्वारा दायर रिट याचिकाएँ स्वीकार कर ली गईं तथा अधिसूचना-मुक्ति का आदेश, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 23.09.1996 के आदेश से निरस्त कर दिया गया। इसी समय के आसपास, अभियुक्तों ने रवीशंकरा शेट्टी की सहायता ली, यह कहते हुए कि जब शीर्षक विक्रेय हो जाएगा, तब वे विषय संपत्ति उसे बेच देंगे। दिनांक 23.09.1996 के उक्त आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार हेतु रिट याचिकाएँ सं. 9517/1999 एवं 10875-92/1999 दायर की गईं, जिन्हें दिनांक 03.12.2001 को एक अन्य एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया। दिनांक 03.12.2001 के आदेश को आंतरिक अपीलों के माध्यम से रिट अपील सं. 679/2002 एवं 3479-96/2002 (संबद्ध 680/2002 एवं 3497-3514/2002 सहित) में चुनौती दी गई, जिन्हें दिनांक 26.03.2004 को एक खंडपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात, इस न्यायालय के समक्ष रिट अपीलों से उत्पन्न सिविल

अपील सं. 6220/2009 तथा संबंधित प्रकरणों को अंततः दिनांक 18.11.2015 को खारिज कर दिया गया। शिकायतकर्ता का यह कथन है कि अभियुक्तों द्वारा दिए गए मिथ्या आश्वासनों के आधार पर रवीशंकरा शेट्टी ने वाद-विवाद में पर्याप्त समय, धन और ऊर्जा व्यय की तथा उसके आग्रह पर, और बहुत अनिच्छा के पश्चात, अभियुक्त विक्रय अनुबंध (जिसे आगे 'एटीएस' कहा जाएगा) करने के लिए सहमत हुए। रवीशंकरा शेट्टी ने अपने नामांकित व्यक्ति (शिकायतकर्ता) को अपनी ओर से एटीएस में प्रवेश करने की अनुमति दी।

7. तदनुसार, दिनांक 30.11.2015 को अभियुक्तों ने विषय संपत्ति के संबंध में ₹3,50,00,000/- (रुपये तीन करोड़ पचास लाख) के विक्रय प्रतिफल पर शिकायतकर्ता के साथ एक एटीएस निष्पादित किया। सभी अभियुक्तों ने एटीएस पर हस्ताक्षर किए और के. वी. कृष्ण प्रसाद (अपीलकर्ता सं. 4) ने सहमति साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किए। उसी दिन, अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता के पक्ष में एक सामान्य अभिकर्ता-पत्र (जिसे आगे 'जीपीए' कहा जाएगा) भी निष्पादित किया, जिसमें विषय संपत्ति को बेचने की शक्ति भी सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त, यह भी आरोप है कि अपीलकर्ता सं. 4 ने शिकायतकर्ता से अनुरोध किया कि एटीएस में समय-सीमा का प्रावधान न जोड़ा जाए, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उन्हें विषय संपत्ति पर हस्तांतरणीय शीर्षक कब प्राप्त होगा। ₹2,00,000/- (रुपये दो लाख) की राशि, अन्य अभियुक्तों की सहमति से, अपीलकर्ता सं. 4 को प्रदान की गई।

8. रिट याचिकाएँ सं. 53124-53126/2015, के. वी. जयलक्ष्मम्मा द्वारा दायर की गईं, जिनमें यह घोषित करने की प्रार्थना की गई कि विषय संपत्ति के संबंध में भूमि अधिग्रहण योजना बीडीए द्वारा लागू न किए जाने के कारण समाप्त हो गई है। उक्त रिट याचिकाएँ उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 05.02.2016 के आदेश से स्वीकार कर ली गईं। इसके पश्चात बीडीए द्वारा दायर रिट अपील सं. 547-548 एवं 1483/2016 दिनांक 07.06.2016 के आदेश द्वारा वापस ले ली गईं। भूखंडों के आवंटियों द्वारा दायर रिट अपील सं. 550-551/2016 एवं 611/2016 को भी दिनांक 05.12.2016 के आदेश द्वारा निस्तारित किया गया, जिसमें उन्हें बीडीए के समक्ष स्वतंत्र कार्यवाही प्रारंभ करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तत्पश्चात, दिनांक 10.12.2016 को एक समझौता ज्ञापन (जिसे आगे 'एमओयू' कहा जाएगा) एम/एस लेगेसी ग्लोबल रियल्टी (डेवलपर्स) तथा अभियुक्तों के परिवार अर्थात् अपीलकर्ताओं के बीच निष्पादित किया गया, जिसके अंतर्गत ₹2,00,00,000/- (रुपये दो करोड़) की राशि के. वी. प्रभाकर के खाते में जमा की गई, जिन्होंने उसमें से ₹1,00,00,000/- (रुपये एक करोड़) की राशि अपीलकर्ता सं. 4 के खाते में, अपने तथा अन्य अभियुक्तों (जो उनके परिवारजन हैं) के लिए स्थानांतरित कर दी।

9. दिनांक 22.04.2020 को बेंगलुरु नगर के उपायुक्त द्वारा विषय संपत्ति के संबंध में रूपांतरण आदेश जारी किया गया। विषय संपत्ति का शीर्षक विक्रेय हो जाने के पश्चात, शिकायतकर्ता शेष भुगतान करने हेतु अभियुक्तों के पास गया, किन्तु अभियुक्तों ने एटीएस का पालन करने से इंकार कर दिया। दिनांक 12.05.2022 को शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता सं. 4 से संपर्क किया, जिसने उसे जान से मारने की धमकी दी। इससे आहत होकर, शिकायतकर्ता ने क्षेत्राधिकार वाले संजय नगर पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने प्राप्ति-पत्र तो जारी किया किन्तु एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर दिया। दिनांक 06.06.2022 को शिकायतकर्ता को ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों ने उसके पक्ष में निष्पादित जीपीए को निरस्त कर दिया है। शिकायतकर्ता ने दिनांक 14.06.2022 को विधिक नोटिस जारी कर विक्रय विलेख निष्पादित करने तथा शेष विक्रय प्रतिफल ₹1,48,00,000/- (रुपये एक करोड़ अड़तालीस लाख) प्राप्त करने हेतु अभियुक्तों को कहा। अपीलकर्ता सं. 1 से 3 ने अभियुक्त सं. 3 के साथ मिलकर दिनांक 27.06.2022 को विषय संपत्ति के संबंध में अभियुक्त सं. 1 के पक्ष में एक पंजीकृत विमोचन विलेख निष्पादित किया। उसी दिन, अभियुक्त सं. 1 ने अपीलकर्ता सं. 4 के पक्ष में एक जीपीए निष्पादित किया। इसके पश्चात, दिनांक 12.07.2022 को एक पंजीकृत उपहार विलेख द्वारा अभियुक्त सं. 1 ने विषय संपत्ति अपीलकर्ता सं. 4 के पक्ष में हस्तांतरित कर दी। उक्त के पश्चात, शिकायतकर्ता ने दिनांक 20.07.2022 को एसीएमएम के समक्ष पीसीआर संख्या 12357/2022 दायर की, यह आरोप लगाते हुए कि उसने भारी धनराशि निवेश की थी, किन्तु अभियुक्तों ने स्पष्ट आशय से उसके साथ छल किया।

10. दिनांक 22.07.2022 को शिकायतकर्ता ने बेंगलुरु नगर के प्रधान सिविल न्यायाधीश के समक्ष अपीलकर्ताओं के विरुद्ध वाद सं. ओ.एस. संख्या 4780/2022 दायर किया (जिसे आगे 'दीवानी न्यायालय' कहा जाएगा), जिसमें दिनांक 27.06.2022 के विमोचन विलेख एवं जीपीए को बाध्यकारी न घोषित करने तथा प्रतिवादियों को एटीएस के अपने दायित्वों का पालन करने हेतु निर्देशित करने की प्रार्थना की गई। यह वाद अभी विचाराधीन है। इसी बीच, दिनांक 19.12.2022 को शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 154(3) के अंतर्गत पुलिस उपायुक्त के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की। तत्पश्चात, दिनांक 21.07.2023 को एसीएमएम ने शिकायत को संजय नगर पुलिस थाना को प्रेषित किया, जहाँ एफआईआर पंजीकृत की गई। एफआईआर के पंजीकरण से आहत होकर, अपीलकर्ता (जो शिकायत में अभियुक्त सं. 2, 4, 5 एवं 6 हैं) ने सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक याचिका संख्या 12452/2023 दाखिल कर एफआईआर निरस्तीकरण की प्रार्थना करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे आक्षेपित निर्णय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

<u>अपीलकर्ताओं की दलीलें:</u>

11. प्रारंभ में, अपीलकर्ताओं के प्रबुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने ***प्रियांका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,* (2015) 6 एससीसी 287** में सीआरपीसी की धारा 200 के प्रावधानों को लागू करने से पूर्व एक निश्चित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य किया है। किन्तु वर्तमान प्रकरण में, शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 154(1) तथा धारा 154(3) के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया, और आक्षेपित निर्णय में इसे उपचार्य दोष मानना त्रुटिपूर्ण है।

12. गुण-दोष के आधार पर यह प्रस्तुत किया गया कि आईपीसी की धाराओं 415 एवं 420 के आवश्यक अवयव एफआईआर में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं। प्रारंभ से ही अपीलकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता को किसी प्रकार का प्रलोभन देने अथवा वचन देते समय किसी प्रकार की बेईमानी की मंशा का कोई उल्लेख नहीं है। ओंकार नाथ मिश्रा बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य, (2008) 2 एससीसी 561 पर निर्भर करते हुए यह तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 406 के अंतर्गत आपराधिक न्यासभंग के आवश्यक अवयव, जैसे न्यास सौंपना, दुरुपयोग, रूपांतरण आदि, पूर्णतः अनुपस्थित हैं। अतः उक्त प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर बनाए रखने के लिए *आवश्यक आधार* का अभाव है और केवल इसी आधार पर एफआईआर निरस्त की जानी चाहिए।

13. इसके विपरीत, यह इंगित किया गया कि स्वयं शिकायतकर्ता ने एफआईआर में यह आरोप लगाया है कि *'उक्त संपत्ति के बाजार मूल्य में वृद्धि के पश्चात अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता के साथ छल करना प्रारंभ किया।'* इस प्रकार, शिकायतकर्ता का स्वयं का कथन ही प्रारंभ में किसी प्रलोभन या वचन देते समय किसी बेईमानी की मंशा के दावे के प्रतिकूल है। यह तर्क दिया गया कि यह कथन अपने आप में ही धोखाधड़ी के आरोप पर आधारित किसी भी एफआईआर के लिए घातक है।

14. प्रबुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता ने ***दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,* 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2248** के निर्णय पर भरोसा किया और यह तर्क दिया कि अब यह विधि द्वारा स्थापित सिद्धांत है कि भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 406 और 420 के अंतर्गत एक साथ एफआईआर बनाए नहीं रखी जा सकती, क्योंकि दोनों धाराओं के अवयव परस्पर अपवर्जित हैं और साथ-साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते।

15. ***जी. सागर सूरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,* (2000) 2 एस.सी.सी. 636** के निर्णय का उल्लेख करते हुए यह प्रतिपादित किया गया कि पक्षकारों के मध्य विवाद पूर्णतः दीवानी प्रकृति का है, जिसे

दुर्भावनापूर्वक आपराधिक रंग देने का प्रयास किया गया है, तथा एफआईआर में किए गए कथन किसी भी प्रकार का अपराध स्थापित नहीं करते। आगे यह भी कहा गया कि उक्त कथन मुख्यतः वही आधार हैं जिन पर लंबित दीवानी वाद में राहतें माँगी गई हैं।

16. प्रबुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी इंगित किया कि एटीएस के अनुसार, शिकायतकर्ता पर यह दायित्व था कि वह विषय संपत्ति के शीर्षक से संबंधित समस्याओं/वाद-विवादों का समाधान करे तथा वाद-विवाद के समाधान के तीन माह के भीतर उसे विक्रेय बनाए। विषय संपत्ति के बीडीए द्वारा अधिग्रहण से संबंधित रिट याचिकाएँ दायर किए जाने के पश्चात वर्ष 2016 में स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली गई थीं। तथापि, उसके पश्चात कई वर्षों तक कोई आगे की कार्यवाही नहीं हुई और न ही कोई कदम उठाया गया।

17. अतः वर्ष 2022 में, अपीलकर्ताओं को अपनी सास आदि के पक्ष में संपत्ति का परित्याग करने जैसे संरक्षणात्मक कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ा, वह भी दिनांक 06.06.2022 को शिकायतकर्ता को पूर्व विधिक नोटिस जारी करने तथा एक सार्वजनिक सूचना देने के पश्चात। शिकायतकर्ता के पक्ष में निष्पादित अभिकर्ता-पत्र को भी उसे विधिवत सूचित करने के बाद ही निरस्त किया गया।

18. यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने मुख्यतः एफआईआर के पंजीकरण तथा निजी शिकायतों से संबंधित विधि पर ही ध्यान केंद्रित किया, और इस बात पर कोई विचार नहीं किया कि कथित अपराधों के आवश्यक अवयव स्थापित होते हैं या नहीं, तथा एफआईआर में आरोपित धाराओं के आवश्यक तत्वों के अभाव पर कोई भी जांच नहीं की गई।

19. यह भी प्रस्तुत किया गया कि ₹2,00,00,000/- (रुपये दो करोड़) की राशि के. वी. प्रभाकर (जो अब दिवंगत हो चुके हैं) को एक पृथक एमओयू के माध्यम से, एक भिन्न इकाई अर्थात् एम/एस लेगेसी ग्लोबल रियल्टी द्वारा प्रदान की गई थी। अतः उक्त राशि अपीलकर्ताओं को कभी प्राप्त नहीं हुई। एमओयू केवल विषय संपत्ति के विकास तक ही सीमित था।

20. प्रबुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के पक्ष में दर्ज कथन, के. वी. प्रभाकर की पुत्री श्रीमती अचलविद्या के हैं, जिनके साथ शिकायतकर्ता ने उनके द्वारा दायर दीवानी वाद में समझौता किया था। उक्त समझौता दीवानी न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। इन दोनों तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि पी. नागलक्ष्मी (प्रतिवादी सं. 6) तथा श्रीमती अचलविद्या (प्रतिवादी सं. 7) के कथनों को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे स्वतंत्र नहीं हैं और स्पष्टतः अपीलकर्ताओं के विरुद्ध शिकायतकर्ता का पक्ष ले रही हैं।

21. प्रबुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता ने ***वी. पी. श्रीवास्तव बनाम इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड,* (2010) 10 एस.सी.सी. 361** पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया कि यह स्थापित विधि है कि किसी वचन का पश्चात पालन न किया जाना, धोखाधड़ी या आपराधिक न्यासभंग के आरोप में आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करने का आधार नहीं बन सकता। इन प्रस्तुतियों के आधार पर, प्रबुद्ध अधिवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने एफआईआर को निरस्त न करके त्रुटि की है। यह प्रार्थना की गई कि अपील स्वीकार की जाए और इस न्यायालय द्वारा एफआईआर निरस्त की जाए।

<u>**प्रतिवादी सं. 2/शिकायतकर्ता की दलीलें:**</u>

22. प्रारंभ में, प्रतिवादी सं. 2-शिकायतकर्ता के प्रबुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह स्थापित विधि है कि एफआईआर के चरण पर, यदि शिकायत अपने प्रथम दृष्टया रूप में आरोपित अपराधों का प्रकटीकरण करती है, तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता। इस चरण पर केवल शिकायत को ही देखा जाना चाहिए, अन्य किसी सामग्री को नहीं। अतः उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से सही रूप से इंकार किया है और यह न्यायालय, भारत के संविधान, 1950 (जिसे आगे 'संविधान' कहा जाएगा) के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अब हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में ***नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य,* (2021) 19 एस.सी.सी. 401 और *सिद्धार्थ मुकेश भंडारी बनाम गुजरात राज्य,* (2022) 10 एस.सी.सी. 525** के निर्णयों पर भरोसा किया गया।

23. यह प्रस्तुत किया गया कि ए.सी.एम.एम. के समक्ष शिकायत लंबित रहने के दौरान, ***प्रियंका श्रीवास्तव*** *(उपरोक्त)* में निर्धारित कानून की आवश्यकता का पालन करने के लिए, परिवादी ने 19.12.2022 को पुलिस उपायुक्त, बेंगलुरु के समक्ष भी एक शिकायत दर्ज की। परिवादी ने 12.01.2023 को ए.सी.एम.एम. के समक्ष एक शपथ पत्र दाखिल किया। कानून के जनादेश का पालन करने के बाद, ए.सी.एम.एम. ने सी.आर.पी.सी. की धारा 156(3) के तहत कार्य करते हुए, मामले को एफ.आई.आर. दर्ज करने, जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्राधिकार वाली पुलिस को भेज दिया। यह दोहराया गया कि ***प्रियंका श्रीवास्तव*** *(उपरोक्त)* के अनुसार शपथ पत्र ए.सी.एम.एम. द्वारा प्रेषण आदेश पारित किए जाने से पहले दाखिल किया गया था।

24. यह प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारों के मध्य एटीएस इस तथ्य के कारण संपन्न हुआ कि विक्रेताओं को यह ज्ञात हो गया था कि वे अधिग्रहण कार्यवाहियों में अपनी भूमि खो चुके हैं। विक्रय प्रतिफल ₹3,50,00,000/- (रुपये तीन करोड़ पचास लाख) निर्धारित किया गया, जिसमें से ₹2,00,000/- (रुपये दो लाख) नकद तत्काल अदा किए गए और शेष विक्रय प्रतिफल, विक्रय

विलेख के निष्पादन एवं पंजीकरण के समय देय था। एटीएस के साथ ही, अभियुक्त/विक्रेताओं ने दिनांक 30.11.2015 का जीपीए निष्पादित किया, जिसमें एटीएस के निष्पादन की पुष्टि की गई तथा शिकायतकर्ता को विषय संपत्ति को बेचने की शक्ति सहित समस्त अधिकार प्रदान किए गए। ये सभी तथ्य एटीएस की शर्तों से स्पष्ट होते हैं।

25. यह प्रस्तुत किया गया कि यह निर्विवाद स्थिति है कि शिकायतकर्ता ने दीर्घ अवधि में विविध कदम उठाकर भूमि को विक्रेय बनाने का प्रयास किया। प्रबुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस संबंध में उठाए गए कदमों का विवरण प्रस्तुत किया और यह कहा कि विषय संपत्ति का शीर्षक अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि रिट याचिकाएँ सं. 16093/2021 [***श्रीमती के. वी. जयलक्ष्मम्मा एवं अन्य बनाम ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका एवं अन्य***] तथा 16179/2020 [***श्रीमती के. वी. जयलक्ष्मम्मा एवं अन्य बनाम ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका एवं अन्य***] अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, जो कि ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका (जिसे आगे 'बीबीएमपी' कहा जाएगा) द्वारा खाता पंजीकरण के विरोध के कारण लंबित हैं। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि समय, एटीएस का मूल तत्व नहीं था और अतः विक्रय विलेख निष्पादित करने की अवस्था अभी नहीं आई है।

26. अपीलकर्ता इस स्थिति से भली-भांति अवगत होने के बावजूद, शिकायतकर्ता को ठगने एवं धोखा देने का निर्णय लिया, जिसके तहत पहले जीपीए को निरस्त किया गया, तत्पश्चात दिनांक 27.06.2022 को अभियुक्त सं. 2 से 5 द्वारा अभियुक्त सं. 1 के पक्ष में विमोचन विलेख निष्पादित किया गया, साथ ही उसी दिन अभियुक्त सं. 1 द्वारा अभियुक्त सं. 6 के. वी. कृष्ण प्रसाद के पक्ष में जीपीए निष्पादित किया गया तथा दिनांक 12.07.2022 को श्री के. वी. कृष्ण प्रसाद के पक्ष में उपहार विलेख निष्पादित किए गए। इन सभी कार्यवाहियों का उद्देश्य शिकायतकर्ता को उक्त संपत्ति में उसके मूल्यवान अधिकार से वंचित करना तथा उस संपत्ति का दुरुपयोग करना था, जिसे स्पष्ट रूप से उसे बेचने का वचन दिया गया था।

27. यह प्रस्तुत किया गया कि इन सभी तथ्यों की पुलिस द्वारा जांच आवश्यक है और इसी कारण एसीएमएम ने विधिवत जांच का आदेश पारित किया, जिसकी जांच पूर्ण हो चुकी है और तत्पश्चात दिनांक 28.08.2024 को आरोप-पत्र (चार्जशीट) दायर किया गया तथा दिनांक 30.08.2024 को उस पर संज्ञान लिया गया।

28. इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तों ने पहले ₹2,00,000/- (रुपये दो लाख) प्राप्त किए और उसके पश्चात शिकायतकर्ता के प्रयासों के माध्यम से एम/एस लेगेसी ग्लोबल रियल्टी से ₹2,00,00,000/- (रुपये दो करोड़) प्राप्त किए। इस तथ्य की पुष्टि एम/एस लिगेसी

ग्लोबल रियल्टी के प्रबंधक श्री संजय सी., श्रीमती पी. नागलक्ष्मी प/ओ श्री के. वी. प्रभाकर के बयान और अचलाविद्या पु/ओ श्री के. वी. प्रभाकर के बयान द्वारा की गई है।

29. उपर्युक्त आधारों पर यह प्रस्तुत किया गया कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ताओं के पास न तो गुण-दोष के आधार पर कोई ठोस मामला है और न ही विधि उनके पक्ष में है। अपील को खारिज करने की प्रार्थना की गई। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि यदि यह न्यायालय अपील स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त हो, तो न्याय एवं समता के हित में यह आवश्यक होगा कि अपीलकर्ताओं को विषय संपत्ति के संबंध में किसी तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित करने से रोका जाए। अतः वैकल्पिक रूप से यह प्रार्थना की गई कि अपीलकर्ताओं को विषय संपत्ति के संबंध में तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित न करने का निर्देश दिया जाए।

राज्य-प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुतियाँ:

30. कर्नाटक राज्य के प्रबुद्ध अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 406, 420, 120-बी तथा 34 के अंतर्गत अपराध, जांच के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपीलकर्ताओं के विरुद्ध स्थापित होते हैं। इस संदर्भ में यह इंगित किया गया कि दिनांक 28.08.2024 को एसीएमएम के समक्ष आरोप-पत्र दायर किया गया तथा दिनांक 30.08.2024 को उस पर संज्ञान लिया गया।

31. जांच के दौरान यह पाया गया कि अपीलकर्ताओं की प्रारंभ से ही बेईमानी की मंशा थी और उनका एटीएस का पालन करने का कोई इरादा नहीं था। इस संदर्भ में, दिनांक 30.11.2015 के एटीएस एवं जीपीए के साक्षी आर. एम. चंद्रन ने यह कथन किया कि अभियुक्तों का समझौते का पालन करने का कोई इरादा नहीं था तथा उन्होंने रवीशंकरा शेट्टी और शिकायतकर्ता को केवल लंबित वाद-विवादों को समाप्त कराने हेतु उनकी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से एटीएस में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। आगे, नागलक्ष्मी एवं अचलविद्या, जो के. वी. प्रभाकर (एटीएस एवं जीपीए के निष्पादकों में से एक) की पत्नी एवं पुत्री हैं, ने दिनांक 30.11.2015 को एटीएस एवं जीपीए के निष्पादन तथा ₹2,00,00,000/- (रुपये दो करोड़) एवं ₹2,00,000/- (रुपये दो लाख) की प्राप्ति के संबंध में कथन दिए हैं। अतः उक्त कथनों से दिनांक 30.11.2015 के एटीएस एवं जीपीए का निष्पादन स्पष्ट रूप से स्थापित होता है।

32. यह प्रस्तुत किया गया कि जांच से यह प्रकट हुआ कि शिकायतकर्ता को कपटपूर्वक एवं बेईमानी से एटीएस में प्रवेश करने हेतु प्रेरित किया गया तथा उसे धोखा दिया गया। यह तर्क दिया गया

कि अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है जिससे सभी अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। इन परिस्थितियों में, अपील को खारिज करने की प्रार्थना की गई।

<u>विश्लेषण, तर्क एवं निष्कर्ष:</u>

33. पक्षकारों के प्रबुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने पर जो प्रश्न उभरता है, वह यह है कि क्या अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक मामला आगे बढ़ना चाहिए। इसका परीक्षण दो दृष्टिकोणों से किया जाना आवश्यक है। *प्रथम,* क्या तथ्यात्मक स्थिति की पृष्ठभूमि में कोई आपराधिक अपराध बनता है, जिससे अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही उचित ठहराई जा सके? *द्वितीय,* क्या उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर, एक ही कारण-कार्यवाही पर, दीवानी एवं आपराधिक दोनों कार्यवाहियाँ एक साथ चल सकती हैं?

34. प्रथम प्रश्न के संबंध में, यह निर्विवाद स्थिति है कि अपीलकर्ताओं का विषय संपत्ति पर शीर्षक है। यह कहा गया है कि उन्होंने शिकायतकर्ता के साथ एटीएस किया, जो स्वयं रवीशंकरा शेट्टी का नामित था। एटीएस में यह प्रावधान था कि शिकायतकर्ता का पक्ष विषय संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित उत्पन्न कानूनी विवादों के समाधान में अपीलकर्ताओं की सहायता करेगा, और ऐसा होने पर अपीलकर्ता ₹3,50,00,000/- (रुपये तीन करोड़ पचास लाख) के कुल प्रतिफल पर विषय संपत्ति को शिकायतकर्ता को बेचने पर सहमत हुए। यह एटीएस दिनांक 30.11.2015 को किया गया। इसके पश्चात, अपीलकर्ताओं ने उसी दिन शिकायतकर्ता के पक्ष में एक जीपीए भी निष्पादित किया, जिसके द्वारा उसे अपीलकर्ताओं के शीर्षक को स्पष्ट एवं विक्रेय बनाने हेतु आवश्यक सभी कदम उठाने तथा उनकी ओर से संपत्ति विक्रय करने का अधिकार प्रदान किया गया। जयलक्ष्मम्मा द्वारा, जीपीए धारक के माध्यम से, विषय संपत्ति के संबंध में भूमि अधिग्रहण को समाप्त घोषित करने हेतु रिट याचिकाएँ सं. 53124-53126/2015 दायर की गईं, यह कहते हुए कि बीडीए संबंधित योजना को लागू करने में विफल रहा। इन रिट याचिकाओं को दिनांक 05.02.2016 को प्रबुद्ध एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ताओं के पक्ष में स्वीकार कर लिया गया। यद्यपि बीडीए द्वारा इसे चुनौती दी गई, तथापि बाद में रिट अपीलें वापस ले ली गईं। आवंटियों द्वारा दायर अपीलों का भी निस्तारण इस स्वतंत्रता के साथ किया गया कि वे बीडीए के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं। इन सबके पश्चात, यह कहा गया है कि अपीलकर्ताओं ने एम/एस लेगेसी ग्लोबल रियल्टी से विषय संपत्ति के हस्तांतरण के लिए ₹2,02,00,000/- (रुपये दो करोड़ दो लाख) प्राप्त किए। इसके उपरांत, अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता के पक्ष में निष्पादित जीपीए को निरस्त कर दिया और एक अन्य जीपीए निष्पादित किया तथा एक पंजीकृत

उपहार विलेख के माध्यम से विषय संपत्ति को अपीलकर्ता सं. 4 के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया। इससे प्रेरित होकर शिकायतकर्ता ने एक दीवानी वाद दायर किया, जिसमें उक्त पश्चातवर्ती जीपीए एवं विमोचन विलेख को बाध्यकारी न घोषित करने तथा एटीएस के विशिष्ट पालन की मांग की, यह कहते हुए कि वह शेष ₹1,48,00,000/- (रुपये एक करोड़ अड़तालीस लाख) अदा करने के लिए तैयार था, किंतु अपीलकर्ताओं ने इंकार कर दिया और विषय संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए भी तैयार नहीं थे। शिकायतकर्ता ने दीवानी वाद दायर करने के तुरंत पश्चात ही एफआईआर भी दर्ज कराई। आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा उस पर संज्ञान भी लिया जा चुका है। उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती असफल होने के पश्चात, वर्तमान अपील में उक्त अपीलित निर्णय को चुनौती दी गई है।

35. इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या एफआईआर में लगाए गए आपराधिक प्रकृति के आरोप ऐसे हैं कि आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति दी जा सके या नहीं। अंततः भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 406 एवं 420 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। सुविधा के लिए, उक्त धाराओं को यहाँ पुनः उद्धृत किया जा रहा है–

> *‘**120 बी. आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड.–** (1) जो कोई ऐसे आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार होगा, जिसका उद्देश्य मृत्यु-दंड, आजीवन कारावास या दो वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करना हो, और जिसके लिए इस संहिता में पृथक रूप से दंड का प्रावधान नहीं है, उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने उस अपराध का उकसावा किया हो।*
>
> *(2) जो कोई उपर्युक्त प्रकार के अतिरिक्त किसी अन्य आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार होगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि छह माह तक हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।*
>
> xxx
>
> ***406. आपराधिक न्यासभंग के लिए दंड.–** जो कोई आपराधिक न्यासभंग करेगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।*
>
> xxx
>
> ***420. कपटपूर्वक छल करना तथा संपत्ति की डिलीवरी के लिए बेईमानी से प्रेरित करना.-** जो कोई छल करेगा और इस प्रकार छलित व्यक्ति को बेईमानी से किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति के संपूर्ण या*

किसी भाग को बनाने, परिवर्तित करने या नष्ट करने के लिए, अथवा किसी ऐसी वस्तु के संबंध में जो हस्ताक्षरित या मुहरबंद हो और जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता हो, प्रेरित करेगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा तथा वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।'

36. इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक परिभाषात्मक धाराओं का उल्लेख करना भी उपयोगी होगा–

'120-ए. आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा.– *जब दो या दो से अधिक व्यक्ति करने के लिए, या कारित करने के लिए सहमत होते हैं,–*

(1) किसी अवैध कार्य को करने के लिए, या

(2) किसी ऐसे कार्य को, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों से करने के लिए, आपस में सहमत होते हैं, तो ऐसा समझौता आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है:

परंतु यह कि, किसी अपराध को करने के लिए किए गए समझौते के अतिरिक्त कोई अन्य समझौता तब तक आपराधिक षड्यंत्र नहीं माना जाएगा, जब तक कि उस समझौते के अनुसरण में एक या अधिक पक्षकारों द्वारा कोई कार्य न किया जाए।

स्पष्टीकरण.– यह अप्रासंगिक है कि अवैध कार्य उस समझौते का अंतिम उद्देश्य है या केवल उसके उद्देश्य से संबंधित सहायक कार्य है।

xxx'

405. आपराधिक विश्वासघात। *– जो कोई, किसी भी प्रकार से संपत्ति सौंपी जाने पर, या संपत्ति पर कोई प्रभुत्व प्राप्त होने पर, बेईमानी से उस संपत्ति का दुर्विनियोग करता है या उसे अपने स्वयं के उपयोग के लिए परिवर्तित कर लेता है, या बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या निपटान उस विधि के किसी भी निर्देश के उल्लंघन में करता है जो उस तरीके को निर्धारित करता है जिसमें ऐसे विश्वास का निर्वहन किया जाना है, या किसी भी कानूनी अनुबंध, अभिव्यक्त या विवक्षित, जो उसने ऐसे विश्वास के निर्वहन के संबंध में किया है, के उल्लंघन में करता है, या स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, वह "अपराधिक विश्वासघात" करता है।*

स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण 1.– एक व्यक्ति, जो किसी प्रतिष्ठान का नियोक्ता है, चाहे वह कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त हो या नहीं], जो कर्मचारी को देय मजदूरी में से भविष्य निधि या परिवार पेंशन निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी का अंशदान काटता है, जो उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा स्थापित है, उसे उसके द्वारा काटे गए अंशदान की राशि सौंपी गई मानी जाएगी और यदि वह उक्त कानून के उल्लंघन में उक्त निधि में ऐसे अंशदान के भुगतान में चूक करता है, तो उसे पूर्वोक्त कानून के निर्देश के उल्लंघन में उक्त अंशदान की राशि का बेईमानी से उपयोग किया हुआ माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2.– एक व्यक्ति, जो एक नियोक्ता है, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के तहत स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा धारित और प्रशासित कर्मचारी राज्य बीमा निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी को देय मजदूरी में से कर्मचारी का अंशदान काटता है, उसे उसके द्वारा काटे गए अंशदान की राशि सौंपी गई मानी जाएगी और यदि वह उक्त अधिनियम के उल्लंघन में उक्त निधि में ऐसे अंशदान के भुगतान में चूक करता है, तो उसे पूर्वोक्त कानून के निर्देश के उल्लंघन में उक्त अंशदान की राशि का बेईमानी से उपयोग किया हुआ माना जाएगा।

दृष्टांत

(a) ए, एक मृत व्यक्ति की वसीयत का निष्पादक है, और वह उस विधि का बेईमानी से उल्लंघन करता है जो उसे संपति को वसीयत के अनुसार विभाजित करने का निर्देश देती है, और उसे अपने उपयोग में ले लेता है। ए ने आपराधिक न्यासभंग किया है।

(b) ए एक गोदाम-प्रबंधक है। जेड यात्रा पर जाते समय अपना फर्नीचर ए को इस अनुबंध के तहत सौंपता है कि निर्धारित शुल्क देने पर उसे वापस किया जाएगा। ए बेईमानी से उस वस्तु को बेच देता है। ए ने आपराधिक न्यासभंग किया है।

(c) ए, जो कलकत्ता में निवास करता है, दिल्ली में रहने वाले ज़ेड का एजेंट है। ए और ज़ेड के बीच एक अभिव्यक्त या विवक्षित अनुबंध है कि ज़ेड द्वारा ए को भेजी गई सभी राशियों को ए द्वारा ज़ेड के निर्देशानुसार निवेश किया जाएगा। ज़ेड, ए को एक लाख रुपये इस निर्देश के साथ भेजता है कि ए उसे कंपनी के

कागजात में निवेश करे। ए बेईमानी से उन निर्देशों की अवज्ञा करता है और उस धन का उपयोग अपने स्वयं के व्यवसाय में करता है। ए ने आपराधिक विश्वासघात किया है।

(d) परंतु यदि उपर्युक्त उदाहरण में ए बेईमानी से नहीं, बल्कि सद्भावना में यह मानते हुए कि बैंक ऑफ बंगाल के शेयर खरीदना जेड के हित में अधिक लाभकारी होगा, जेड के निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो भले ही जेड को हानि हो और वह दीवानी वाद दायर कर सके, परंतु ए ने आपराधिक न्यासभंग नहीं किया है क्योंकि उसमें बेईमानी का अभाव है।

(e) ए, एक राजस्व अधिकारी है, जिसे सार्वजनिक धन सौंपा गया है और जिसे विधि या अनुबंध के अनुसार उसे एक निश्चित कोषागार में जमा करना है। ए उस धन का बेईमानी से दुरुपयोग करता है। ए ने आपराधिक न्यासभंग किया है।

(f) ए, एक परिवाहक है, जिसे जेड द्वारा भूमि या जलमार्ग से ले जाने हेतु संपत्ति सौंपी गई है। ए उस संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करता है। ए ने आपराधिक न्यासभंग किया है।

xxx

415. छल – *जो कोई किसी व्यक्ति को धोखा देकर, कपटपूर्वक या बेईमानी से उस धोखा खाए हुए व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए, या किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति को अपने पास बनाए रखने के लिए सहमति देने हेतु प्रेरित करता है, या जानबूझकर उस व्यक्ति को, जो इस प्रकार धोखा खा गया है, ऐसा कोई कार्य करने या न करने के लिए प्रेरित करता है, जो वह धोखा न दिए जाने की स्थिति में न करता या न छोड़ता, और ऐसा कार्य या चूक उस व्यक्ति को शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में हानि पहुँचाती है या पहुँचाने की संभावना रखती है, तो वह "छल" करता है।*

स्पष्टीकरण – तथ्यों का बेईमानी से छिपाया जाना इस धारा के अर्थ में धोखा माना जाएगा।

दृष्टांत

(a) ए, स्वयं को सिविल सेवा में होने का झूठा प्रतिरूप प्रस्तुत कर, जेड को जानबूझकर धोखा देता है और इस प्रकार बेईमानी से जेड को उधार पर वस्तुएँ

देने के लिए प्रेरित करता है, जिनका भुगतान करने का उसका कोई इरादा नहीं है। ए छल करता है।

(b) ए, किसी वस्तु पर नकली चिह्न लगाकर जेड को यह विश्वास दिलाता है कि वह वस्तु किसी प्रसिद्ध निर्माता द्वारा बनाई गई है, और इस प्रकार बेईमानी से जेड को उसे खरीदने और भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। ए छल करता है।

(c) ए, जेड को किसी वस्तु का झूठा नमूना दिखाकर यह विश्वास दिलाता है कि वास्तविक वस्तु उसी के अनुरूप है, और इस प्रकार बेईमानी से जेड को उसे खरीदने और भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। ए छल करता है।

(d) ए, किसी ऐसी संस्था पर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करता है, जहाँ उसके पास कोई धन नहीं है और वह अपेक्षा करता है कि बिल अस्वीकृत हो जाएगा, और इस प्रकार जेड को धोखा देकर वस्तु दिलवा लेता है, भुगतान न करने के इरादे से। ए छल करता है।

(e) ए, ऐसे पदार्थों को हीरे के रूप में गिरवी रखता है, जिन्हें वह जानता है कि वे हीरे नहीं हैं, और इस प्रकार जेड को धोखा देकर उससे धन उधार लेता है। ए छल करता है।

(f) ए, जेड को यह विश्वास दिलाता है कि वह उधार लिया गया धन लौटा देगा, जबकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, और इस प्रकार जेड को उसे धन उधार देने के लिए प्रेरित करता है। ए छल करता है।

(g) ए, जेड को यह विश्वास दिलाता है कि वह उसे नील के पौधे की एक निश्चित मात्रा देगा, जबकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, और इस प्रकार जेड को उस पर विश्वास कर धन अग्रिम देने के लिए प्रेरित करता है–यह छल है। परंतु यदि ए धन प्राप्त करते समय वास्तव में नील देने का इरादा रखता था, परंतु बाद में अनुबंध का उल्लंघन करता है, तो यह छल नहीं है, बल्कि केवल अनुबंध के उल्लंघन हेतु दीवानी वाद का विषय होगा।

(h) ए, जेड को यह विश्वास दिलाता है कि उसने अनुबंध के अनुसार अपना कार्य कर दिया है, जबकि उसने ऐसा नहीं किया, और इस प्रकार बेईमानी से जेड को धन देने के लिए प्रेरित करता है। ए छल करता है।

(i) ए, अपनी संपत्ति बी को बेच देता है। तत्पश्चात, यह जानते हुए कि अब उसका उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, वह उसी संपत्ति को जेड को बेच देता है या गिरवी रख देता है, बिना पूर्व विक्रय की जानकारी दिए, और उससे धन प्राप्त करता है। ए छल करता है।

37. विशुद्ध रूप से कानूनी दृष्टिकोण से, अब यह तय हो चुका है कि एक ही व्यक्ति को एक विशेष लेन-देन के संबंध में आई.पी.सी. की धारा 406 और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक साथ आरोपित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि ***दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड*** *(उपरोक्त)* में दिए गए निर्णय के अनुसार है। इस संबंध में, हमारे द्वारा ***वी. डी. रवीशा बनाम कर्नाटक राज्य,*** **2024 आईएनएससी 1060** (अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति द्वारा लिखित) में दिए गए एक बाद के निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें ***दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड*** *(उपरोक्त)* की व्याख्या पर ध्यान दिया गया था। ***वी. डी. रवीशा*** *(उपरोक्त)* में, आई.पी.सी. की धारा 406 और 420 के बीच के अंतर पर विधिवत ध्यान दिया गया था, लेकिन एक ही व्यक्ति के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 406 और 420 के तहत आरोपों को बरकरार रखा गया था, क्योंकि वे एक ही लेन-देन का हिस्सा नहीं थे और अलग-अलग व्यक्तियों के विरुद्ध किए गए थे। ***वी. डी. रवीशा*** *(उपरोक्त)* का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

*'**21.** यद्यपि, कानून की पूर्व-गणित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के साथ रखे गए तथ्यात्मक पहलुओं के समग्र परिदृश्य पर, आई.पी.सी. की धारा 406 और 420 की सामग्रियों की पूर्ति के संबंध में, पहली नजर में यह प्रतीत हो सकता है कि याचिकाकर्ता को आई.पी.सी. की धारा 406 और 420 दोनों के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन, वर्तमान मामले में, इस मुद्दे पर इसकी संपूर्णता में उचित विचार करने पर, एक सूक्ष्म अंतर है, क्योंकि दो अलग-अलग व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने उपरोक्त धाराओं के तहत संबंधित अपराध किए हैं: पहला, कंपनी और दूसरा, मल्लिकार्जुन (पी.डब्ल्यू.4 और खरीदार सवित्रम्मा के पति)। इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता कंपनी के विरुद्ध किए गए अपराध का दोषी है जो आई.पी.सी. की धारा 406 के तहत दंडनीय है और मल्लिकार्जुन (पी.डब्ल्यू.4 और खरीदार सवित्रम्मा के पति) के विरुद्ध किए गए अपराध का भी दोषी है जो आई.पी.सी. की धारा 420 के तहत दंडनीय है।'*

(ज़ोर दिया गया)

38. भारतीय दंड संहिता की धारा 406 आपराधिक न्यासभंग के दंड से संबंधित है, जिसकी परिभाषा स्वयं धारा 405 में दी गई है। वहीं, धारा 420 छल एवं संपत्ति की डिलीवरी हेतु बेईमानी से प्रेरित करने से संबंधित है, जबकि छल का मूल अपराध धारा 415 में परिभाषित है। अब हम इन प्रावधानों के तत्वों को वर्तमान तथ्यात्मक स्थिति पर लागू करते हैं।

39. धारा 405 के साधारण पठन से यह स्पष्ट है कि आपराधिक न्यासभंग केवल उसी स्थिति में उत्पन्न होता है, जब अभियुक्त को किसी प्रकार से संपत्ति सौंपी गई हो या उस पर उसका कोई आधिपत्य हो, और वह उसे बेईमानी से अपने उपयोग में परिवर्तित कर ले या उसका दुरुपयोग या निपटान करे। वर्तमान मामले में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है कि अभियुक्तों को विषय संपत्ति सौंपी गई हो। विषय संपत्ति उन्हीं की है और वे उसके विधिक स्वामी हैं तथा उस पर उनका शीर्षकाधिकार है। अतः, भारतीय दंड संहिता की धारा 406 को लागू करने का मूल आधार ही समाप्त हो जाता है।

40. अब भारतीय दंड संहिता की धारा 415 पर आते हैं। इस धारा के अंतर्गत यह आवश्यक है कि अभियुक्त किसी व्यक्ति को धोखा देकर, कपटपूर्वक या बेईमानी से उसे किसी व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए, या किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति को अपने पास बनाए रखने के लिए सहमति देने हेतु प्रेरित करे, अथवा उस व्यक्ति को, जो इस प्रकार धोखा खा गया है, ऐसा कोई कार्य करने या न करने के लिए जानबूझकर प्रेरित करे, जो वह धोखा न दिए जाने की स्थिति में न करता या न छोड़ता, और ऐसा कार्य या चूक उस व्यक्ति को शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में हानि पहुँचाती हो या पहुँचाने की संभावना रखती हो। वर्तमान प्रकरण में, हमें ऐसा नहीं प्रतीत होता कि अपीलकर्ताओं ने शिकायतकर्ता को धोखा देकर, कपटपूर्वक या बेईमानी से उसे अपनी या किसी अन्य के पक्ष में संपत्ति देने के लिए प्रेरित किया, या किसी व्यक्ति को संपत्ति बनाए रखने के लिए सहमति देने हेतु प्रेरित किया, अथवा उसे ऐसा कोई कार्य करने या न करने के लिए प्रेरित किया, जो वह अन्यथा न करता। शिकायतकर्ता के स्वयं के कथनानुसार, एटीएस दिनांक 30.11.2015 को अपीलकर्ताओं और शिकायतकर्ता के बीच संपन्न हुआ। तथापि, यह कहा गया है कि विषय संपत्ति का कब्जा 06.09.1996 को रवीशंकरा शेट्टी को दे दिया गया था। यदि यह कथन सही माना जाए, तो यह स्पष्ट नहीं है कि इतनी महत्वपूर्ण भूमि का कब्जा किसी अन्य व्यक्ति को बिना किसी अन्य समझौते या सुरक्षा उपाय के कैसे सौंपा गया। शिकायतकर्ता के कथन के अनुसार, रवीशंकरा शेट्टी ने 06.09.1996 को ही कब्जा प्राप्त कर लिया था, जबकि एटीएस, जो कि उनके नामित के रूप में शिकायतकर्ता के साथ किया गया, बहुत बाद में 30.11.2015 को निष्पादित हुआ। परंतु एटीएस की शर्तों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कब्जा अपीलकर्ताओं के पास था, और वास्तव में एटीएस की धारा 6, जो

कब्जे से संबंधित है, यह निर्धारित करती है कि विक्रेताओं द्वारा विक्रय विलेख के निष्पादन के पश्चात ही विषय संपत्ति का कब्जा सौंपा जाएगा। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत घटनाक्रम स्वयं ही रवीशंकरा शेट्टी के 06.09.1996 को कब्जा लेने के दावे का खंडन करता है, विशेषतः इस कारण से कि वही व्यक्ति शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज एफआईआर में साक्षी के रूप में उल्लिखित है। अतः, जब शिकायतकर्ता के अपने ही कथनों से यह स्पष्ट होता है कि विषय संपत्ति का कब्जा उसे कभी दिया ही नहीं गया और यह केवल विक्रय विलेख के निष्पादन के पश्चात दिए जाने का प्रावधान था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 415 की परिभाषा के आलोक में धारा 420 लागू नहीं होती।

41. अतः, हमें आरोपों में प्रथम दृष्टया कोई आपराधिक तत्व परिलक्षित नहीं होता। साथ ही, यह भी ध्यान देने योग्य है कि शिकायतकर्ता ने उपर्युक्त वर्णित राहतों हेतु एक दीवानी वाद भी दायर कर रखा है।

42. दूसरे प्रश्न पर आते हुए अर्थात्, क्या एक ही व्यक्ति (व्यक्तियों) के विरुद्ध आरोपों के बिल्कुल उसी सेट पर सिविल और आपराधिक दोनों कार्यवाहियाँ जारी रखी जा सकती हैं, इसका उत्तर *सख्ती से*, यह है कि एक साथ सिविल और आपराधिक कार्यवाहियों पर कोई रोक नहीं है। यदि आपराधिकता का तत्व मौजूद है, तो उन्हीं तथ्यों पर आपराधिक मामले के साथ सिविल मामला सह-अस्तित्व में रह सकता है। यह तथ्य कि परिवादी द्वारा पहले से ही एक सिविल उपचार का लाभ उठाया जा चुका है, *स्वतः*, एफ.आई.आर. को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, जैसा कि अन्य बातों के अलावा, पी***. स्वरूपा रानी बनाम एम. हरि नारायण,* (2008) 5 एस.सी.सी. 765** और ***सैयद अस्करी हादी अली ऑगस्टीन इमाम बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन),* (2009) 5 एस.सी.सी. 528** में बताया गया है। स्पष्ट चेतावनी यह है कि आरोप, भले ही उनमें सिविल प्रकृति का पुट हो, प्रथम दृष्टया आपराधिकता के अत्यधिक तत्व को प्रकट करने चाहिए। आपराधिकता के तत्व के अभाव में, यदि सिविल और आपराधिक दोनों मामलों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह निश्चित रूप से न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा, जिसे न्यायालयों ने हमेशा ऐसी किसी भी आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाकर रोकने की कोशिश की है, जहाँ उसी मुद्दे के संबंध में सिविल कार्यवाहियाँ पहले ही शुरू की जा चुकी हैं, और आपराधिकता का तत्व अनुपस्थित है। यदि ऐसा तत्व अनुपस्थित है, तो संबंधित अभियोजन को रद्द करना होगा। इस संबंध में, ***परमजीत बत्रा बनाम उत्तराखंड राज्य,* (2013) 11 एस.सी.सी. 673** का संदर्भ लिया जा सकता है:

> *‘**12.** ... क्या कोई शिकायत आपराधिक अपराध का प्रकटन करती है या नहीं, यह उसमें वर्णित तथ्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी आपराधिक अपराध के*

> *आवश्यक तत्व विद्यमान हैं या नहीं, इसका निर्णय उच्च न्यायालय को करना होता है। कोई शिकायत, जो दीवानी लेन-देन को प्रकट करती है, उसमें आपराधिक स्वरूप भी हो सकता है। परंतु उच्च न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या मूलतः दीवानी प्रकृति के विवाद को आपराधिक अपराध का आवरण प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में, यदि दीवानी उपाय उपलब्ध है और वास्तव में अपनाया भी गया है, जैसा कि इस मामले में हुआ है, तो न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु उच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए।'*
>
> (ज़ोर दिया गया)

43. उषा चक्रवर्ती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2023) 15 एस.सी.सी. 135 में, एफ.आई.आर. और उसके आधार पर आगे की कार्यवाहियों को रद्द करते हुए, यह प्रेक्षण किया गया था कि *'...तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार यह प्रकट करेगी कि आपराधिक कार्यवाहियों की उत्पत्ति और उद्देश्य उपरोक्त घटना के अलावा और कुछ नहीं है तथा आगे यह कि इसमें शामिल विवाद अनिवार्य रूप से सिविल प्रकृति का है।'*

44. अपीलकर्ताओं द्वारा एक अन्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि ***प्रियंका श्रीवास्तव*** *(उपरोक्त)* में निर्धारित प्रक्रिया का पालन शिकायतकर्ता द्वारा पीसीआर दायर करने से पूर्व नहीं किया गया। ***प्रियंका श्रीवास्तव*** *(उपरोक्त)* में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो पीड़ित व्यक्ति को संबंधित पुलिस अधीक्षक के समक्ष जाना आवश्यक है, और यदि वहाँ भी कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता ने दिनांक 12.05.2022 को पुलिस से संपर्क किया, जिसने एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर दिया। इसके पश्चात, शिकायतकर्ता ने दिनांक 20.07.2022 को पीसीआर दायर कर एसीएमएम के समक्ष याचना की। जब उक्त निजी शिकायत एसीएमएम के समक्ष लंबित थी, तब शिकायतकर्ता ने बेंगलुरु नगर के पुलिस उपायुक्त के समक्ष भी प्रार्थना की। वहाँ भी कोई कार्यवाही न होने पर, इस निष्क्रियता के कारण, शिकायतकर्ता ने अंततः एसीएमएम के समक्ष आवश्यक शपथपत्र प्रस्तुत किया। इसके पश्चात, दिनांक 21.07.2023 को एसीएमएम ने पीसीआर को पुलिस को संदर्भित किया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान एफआईआर दर्ज हुई।

45. उच्च न्यायालय ने यह विचार अपनाया है कि यह एक सुधार योग्य दोष है क्योंकि सी.आर.पी.सी. की धारा 156(3) के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए ए.सी.एम.एम. द्वारा पी.सी.आर. पर प्रेषण आदेश दिए जाने से पहले, आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थीं। हमारी सुविचारित राय में, इस दृष्टिकोण को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ***प्रियंका श्रीवास्तव*** *(उपरोक्त)* के तहत आवश्यकता नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए अन्यायपूर्ण आपराधिक कार्रवाई और तंग करने वाले आवेदनों को दाखिल करने पर रोक लगाने के लिए है। इस प्रकार, ऐसी आवश्यकता को केवल एक औपचारिकता नहीं कहा जा सकता। हममें से एक (सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति) ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के रूप में, ***सचिन चमोली बनाम उत्तराखंड राज्य,*** **2016 (3) एन.सी.सी. 68** में, जहाँ कोई शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया था, यह अभिनिर्धारित किया था कि ***प्रियंका श्रीवास्तव*** *(उपरोक्त)* के अनुसार शपथ पत्र दाखिल करना एक अनिवार्य आवश्यकता थी। ***बाबू वेंकटेश बनाम कर्नाटक राज्य,*** **(2022) 5 एस.सी.सी. 639** में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संबंधित मजिस्ट्रेट को सी.आर.पी.सी. की धारा 156(3) के तहत शिकायत/आवेदन पर विचार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह शपथ पत्र द्वारा समर्थित नहीं था। विचाराधीन मामले में, ए.सी.एम.एम. द्वारा प्रेषण आदेश पारित करने से पहले, शिकायत एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित थी। ***रमेश कुमार बंग बनाम तेलंगाना राज्य,*** **2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 264** में, न्यायालय ने यह बताते हुए कि ***प्रियंका श्रीवास्तव*** *(उपरोक्त)* के निर्देश अनिवार्य हैं, उसमें आक्षेपित आदेश (आदेशों) में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन यह नोट किया कि सूचना देने वाले ने शपथ पत्र विलंब से दाखिल किया था। कानून के इस पहलू पर चर्चा पूरी करने के लिए, हम ***कनिष्क सिन्हा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य,*** **2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 443** में अपने निर्णय का भी संदर्भ ले सकते हैं, जहाँ सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति के माध्यम से बोलते हुए, इस न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश को बरकरार रखा, जिसका अर्थ था कि शपथ पत्र दाखिल करने के लिए ***प्रियंका श्रीवास्तव*** *(उपरोक्त)* का निर्देश भविष्यलक्षी प्रकृति का था। इसलिए, यदि शिकायत/आवेदन दाखिल करने के बाद लेकिन उस पर कोई आदेश पारित होने से पहले, परिवादी को ऐसी आवश्यकता को पूरा करने/पालन करने की अनुमति दी जाती है, तो हमारी राय में, यह ***प्रियंका श्रीवास्तव*** *(उपरोक्त)* में प्रतिपादित कानून के विपरीत नहीं होगा। हम इस बिंदु पर अपने निष्कर्षों को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं: (i) ***प्रियंका श्रीवास्तव*** *(उपरोक्त)* में जारी निर्देश अनिवार्य हैं; (ii) ***प्रियंका श्रीवास्तव*** *(उपरोक्त)* में निर्धारित दिशा-निर्देश भविष्यलक्षी रूप से प्रभावी होते हैं; (iii) समर्थक शपथ पत्र दाखिल न करना एक सुधार योग्य दोष है, लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत/आवेदन पर कोई भी ठोस आदेश पारित करने से पहले इसे सुधारा जाना चाहिए; और, (iv) यदि मजिस्ट्रेट

आवश्यक शपथ पत्र के बिना आगे बढ़ता है, तो ऐसे आदेश/किसी भी परिणामी आदेश/कार्यवाही को केवल ***प्रियंका श्रीवास्तव*** *(उपरोक्त)* के अनुपालन न करने के आधार पर रद्द किया जा सकता है।

46. उपर्युक्त दृष्टिकोण के आलोक में, अपीलित निर्णय ***प्रियंका श्रीवास्तव (उपरोक्त)*** में प्रतिपादित विधि के विपरीत नहीं है। तथापि, जैसा कि ऊपर विवेचित किया गया है, एसीएमएम द्वारा जिन अपराधों के संबंध में संज्ञान लिया गया, उनके आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते, अतः इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है। ***हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल,*** **1992 सप्लीमेंट (1) एस.सी.सी. 335;** ***वेसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य,*** **(2015) 8 एस.सी.सी. 293,** और; ***गुलाम मुस्तफा बनाम कर्नाटक राज्य,*** **(2023) 18 एस.सी.सी. 265** में दिए गए *सिद्धांत* भी इस न्यायालय को हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करते हैं।

47. तदनुसार, उपर्युक्त कारणों से, एफआईआर अपराध सं. 260/2023 तथा उससे संबंधित सभी परिणामी आदेश, जिसमें आरोप-पत्र दिनांक 28.08.2024 तथा संज्ञान आदेश दिनांक 30.08.2024 सम्मिलित हैं, अपीलकर्ताओं के संबंध में निरस्त किए जाते हैं।

48. यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि यद्यपि सह-अभियुक्त विद्याश्री वी. एस., जो अपीलकर्ता संख्या 1 की पुत्री है, इस अपील में पक्षकार नहीं है, और इसके कारण हमें ज्ञात नहीं हैं, तथापि चूँकि सभी अभियुक्त समान स्थिति में हैं और हम पहले ही अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही निरस्त कर चुके हैं, न्याय के हित में उक्त निरस्तीकरण का लाभ विद्याश्री वी. एस. को भी प्राप्त होगा। परिस्थितियों एवं तथ्यों के आलोक में समानता की यही मांग है तथा न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु भी यह आवश्यक है। ***पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य,*** **(2003) 11 एस.सी.सी. 241** और ***जावेद शौकत अली कुरैशी बनाम गुजरात राज्य,*** **(2023) 9 एस.सी.सी. 164,** में इस न्यायालय ने अपने *स्वप्रेरणा* अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन प्रभावित पक्षकारों को भी न्याय प्रदान किया जो उसके समक्ष उपस्थित नहीं थे। इसी प्रकार की परिस्थितियों में, यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधिकार क्षेत्र में, हममें से एक (न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह), पटना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के रूप में, ***बैद्यनाथ मिश्रा बनाम बिहार राज्य,*** **2019 एस.सी.सी. ऑनलाइन पटना 662** में उस सह-अभियुक्त के विरुद्ध भी आपराधिक कार्यवाही निरस्त कर दी थी जो न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं था, क्योंकि उस अभियुक्त के विरुद्ध तथ्य एवं परिस्थितियाँ न्यायालय के समक्ष उपस्थित अभियुक्त के समान थीं।

49. अपील स्वीकार की जाती है। व्यय सरल रखे जाते हैं।

50. यद्यपि न्यायालय ने वर्तमान अपील को स्वीकार कर लिया है, लेकिन न्यायालय का न्यायिक अंतःकरण असहज है, क्योंकि सामने आ रही पूरी कहानी से ऐसा प्रतीत होता है कि वैधानिक निकायों द्वारा चूक और कृत्य सहित विभिन्न बाहरी विचारों के कारण आम नागरिकों, विशेष रूप से बेंगलुरु के नागरिकों के हितों के साथ समझौता किया गया है।

51. कहा जाता है कि विषय संपत्ति का अधिग्रहण बी.डी.ए. द्वारा अधिसूचना जारी कर किया गया था, जिसकी प्रक्रिया वर्ष 1978 में प्रारंभ हुई और वर्ष 1982 में अंतिम अधिसूचना जारी होने पर पूर्ण हुई। इसके पश्चात किसी भी पक्ष द्वारा यह आरोप नहीं लगाया गया कि अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया, अतः यह माना जाता है कि उक्त मुआवजा अपीलकर्ताओं/उनके पूर्वजों को प्रदान किया गया और उन्होंने उसे प्राप्त भी किया। यह अनुमान इस तथ्य से और सुदृढ़ होता है कि वर्ष 1978/1982 के अधिग्रहण को पहली बार वर्ष 2015 में, अर्थात लगभग 33 वर्ष के अंतराल के पश्चात, अपीलकर्ताओं द्वारा अथवा उनकी ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। इस बीच कुछ घटनाक्रम हुए, जिनका उल्लेख आवश्यक है। बीडीए ने अधिग्रहण के पश्चात विषय संपत्ति (उसके कुछ भागों) को विभिन्न व्यक्तियों को आवंटित कर दिया था। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 1992 में, अर्थात अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने के लगभग 10 वर्ष पश्चात, बीडीए ने अधिग्रहण को निरस्त कर दिया, जिसे संबंधित लाभार्थियों/आवंटियों द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। उक्त चुनौती को एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया गया तथा बीडीए द्वारा की गई डी-नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया गया। यह विवाद अंततः इस न्यायालय तक पहुँचा, जिसने दिनांक 18.11.2015 को अपील को खारिज कर दिया और एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की। इस प्रकार, यह विवाद अंतिम रूप से निष्पन्न हो गया।

52. यह अभिलेखित करना अत्यंत आवश्यक है कि उपर्युक्त समस्त घटनाक्रम अपीलकर्ताओं/उनके प्रतिनिधियों द्वारा विषय संपत्ति के अधिग्रहण को निरस्त घोषित कराने हेतु उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पूर्व घटित हुआ। अतः यह अनुमान लागू होता है कि आवश्यक समस्त विधिक औपचारिकताओं पर पूर्ववर्ती वाद-कार्यवाही में विचार किया जा चुका था और वह निष्कर्ष तक पहुँच चुकी थी। अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाएँ स्वीकार कर ली गईं तथा विषय संपत्ति के संबंध में अधिग्रहण को समाप्त घोषित कर दिया गया। यहीं से घटनाक्रम एक रोचक मोड़ लेता है। बी.डी.ए. ने आश्चर्यजनक (बल्कि चौंकाने वाले) रूप से उक्त आदेश के विरुद्ध अंतः-न्यायालय अपीलें दायर कीं, किन्तु बाद में उन्हें वापस ले लिया। यद्यपि हमारे समक्ष अनेक मुद्दे उठाए गए, तथापि वर्तमान में हम उनमें गहराई से प्रवेश करने से विरत रहते हुए केवल स्वीकृत स्थिति तक ही सीमित रहते हैं।

53. यह आगे ध्यान दिया गया है कि एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट कार्यवाहियों में, एक आवंटी से सर्वे संख्या 20 (विषयगत संपत्ति का हिस्सा) में एक साइट के खरीदार ने मध्यक्षेप/पक्षकार बनाने के लिए एक आवेदन दायर किया था और प्रासंगिक तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए समय मांगा था, लेकिन उच्च न्यायालय ने ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं किया। यह पहला चरण था जहाँ, हमारे विचार में, न्याय की विफलता हुई। इसके बाद, बी.डी.ए. द्वारा स्वयं दायर की गई अपील (अपीलों) को आगे न बढ़ाने की कार्रवाई, दूसरा चरण है जहाँ न्याय के मार्ग को बाधित किया गया था। यह तथ्य कि विषयगत संपत्ति का उपयोग बी.डी.ए. द्वारा किया गया था, प्रथम दृष्टया इस कारण से स्पष्ट है कि विषयगत संपत्ति की भूमि के लाभार्थियों/आवंटियों ने पक्षकार बनाने की मांग की थी, जो इस बात को बल प्रदान करेगा कि योजना को कार्यान्वित किया गया था, या कम से कम, जैसा भी मामला हो, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा कार्यान्वित किया गया था।

54. आम नागरिक जो बी.डी.ए. द्वारा किए गए अधिग्रहण के लाभार्थी थे, उन्हें इसके लाभों से वंचित कर दिया गया है, और हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इसे केवल बी.डी.ए. और अपीलकर्त्ताओं के बीच मिलीभगत वाली मुकदमेबाजी ही कहा जा सकता है। इसके स्पष्ट कारण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पूरी तरह स्पष्ट हैं। यह न्यायालय कानून के ऐसे घोर दुरुपयोग और चूक/कृत्यों, विशेष रूप से वैधानिक अधिकारियों द्वारा, के प्रति अपनी आँखें मूँद नहीं सकता और न ही मूँदेगा। अतः, हम इस मामले को ज्यों का त्यों छोड़ने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

55. अतः हमारा दृष्टिकोण था कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें न्यायालय को संविधान का अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पूर्ण न्याय करना चाहिए, जिसका पाठ इस प्रकार है:

> *'**142. सर्वोच्च न्यायालय के डिक्री एवं आदेशों का प्रवर्तन तथा खोज आदि के संबंध में आदेश** – (1) सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, किसी भी वाद या विषय में लंबित प्रकरण में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री पारित कर सकता है या कोई आदेश दे सकता है, और ऐसा पारित किया गया डिक्री या आदेश संपूर्ण भारत के क्षेत्र में ऐसे तरीके से प्रवर्तनीय होगा जैसा संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए, और जब तक इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया जाता, तब तक राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से।*

> *(2) संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन रहते हुए, सर्वोच्च न्यायालय को संपूर्ण भारत के क्षेत्र के संबंध में यह समस्त शक्ति होगी कि वह किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने, किसी दस्तावेज की खोज या प्रस्तुतिकरण के लिए, अथवा अपने अवमानना की जांच या दंड के प्रयोजन हेतु कोई भी आदेश पारित कर सके।'*
>
> (जोर दिया गया)

56. ऐसी शक्ति के प्रयोग की परीक्षा, अन्य के साथ-साथ, ***एम सिद्दीकी (राम जन्मभूमि मंदिर 5 जे) बनाम सुरेश दास,*** **(2020) 1 एससीसी 1;** ***अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ [चुनाव आयोग नियुक्तियां],*** **(2023) 6 एससीसी 161**, और; ***शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन,*** **(2023) 14 एससीसी 231** ***में की गई है।***

57. हालाँकि, चूँकि न्यायालय अंततः जो निर्णय लेगा, उसके संबंधित पक्षों के लिए स्पष्ट रूप से गंभीर परिणाम होंगे, जिनमें वे पक्ष भी शामिल हैं जो हमारे समक्ष नहीं हैं, हम (i) *स्वतः* संज्ञान लेने, और (ii) रजिस्ट्री को रिट याचिका संख्या 53124-53126/2015 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 05.02.2016 **[2016:के.एच.सी.:4079]** के आदेशों के साथ-साथ डब्ल्यू.ए. संख्या 547-548/2016 और 1483/2016 (बी.डी.ए. द्वारा वापस ले ली गई) में विद्वान खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 07.06.2016 **[2016:के.एच.सी.:14898-डी.बी.]** के आदेश और डब्ल्यू.ए. संख्या 550-551/2016 और 611/2016 (प्रस्तावित पक्षकारों की अपीलें एक संक्षिप्त आदेश द्वारा निस्तारित) में दिनांक 05.12.2016 **[2016:के.एच.सी.:32666-डी.बी.]** के आदेशों को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर करने का निर्देश देने का प्रस्ताव कर रहे थे। 09.01.2025 को, बी.डी.ए. नींद से जागा और उसने उच्च न्यायालय में आई.ए. संख्या 01/2025 (वापसी आवेदन दायर करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु) और 02/2025 (खंडपीठ के दिनांक 07.06.2016 के आदेश को वापस लेने हेतु) दायर किए। इन आई.ए. को 03.02.2025 को एक खंडपीठ द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि वापसी आवेदन दायर करने में 2392 दिनों के विलंब को क्षमा करने के लिए कोई स्वीकार्य कारण उपलब्ध नहीं था।

58. इस स्तर पर, हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि बी.डी.ए. ने दिनांक 03.02.2025 के आदेश के विरुद्ध एस.एल.पी. (सी) संख्या 10134-10135/2025 दायर की है, जिसमें एक समकक्ष पीठ ने 02.05.2025 को नोटिस जारी किया है। स्थिति ऐसी होने के कारण, हालांकि इस पूरी गाथा की गहरी छानबीन की आवश्यकता है, जैसा कि ऊपर खुलासा हुआ है; फिर भी, न्यायिक

औचित्य बनाए रखने के लिए, हमारी सुविचारित राय में, वर्तमान मुद्दे को इस न्यायालय के समक्ष बी.डी.ए. द्वारा दायर उपरोक्त मामले में विचार के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

59. तदनुसार, रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय की प्रति उक्त विशेष अनुमति याचिकाओं के अभिलेख पर रखी जाए।

60. इसके अतिरिक्त, न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, जब तक न्यायालय एस.एल.पी. (सी) संख्या 10134-10135/2025 में इस मामले पर अपना विचार नहीं रख देता, तब तक अपीलकर्त्ताओं द्वारा विषयगत संपत्ति में कोई भी तृतीय पक्ष अधिकार सृजित नहीं किए जाएंगे और न ही उन्हें प्रभावी किया जाएगा। परिवादी द्वारा दायर सिविल वाद भी अंतःकालीन अवधि में जारी रह सकता है, जो एस.एल.पी. (सी) संख्या 10134-10135/2025 में पारित होने वाले आदेशों के अधीन होगा।

मामले का परिणाम: अपीलें स्वीकार की गईं।

†शीर्ष टिप्पणियाँ दिव्या पाण्डेय द्वारा तैयार की गईं।

*यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।